भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 249

जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2026/30 आषाढ़, 1948 (शक) को दिया गया

बैंक धोखाधड़ी

249. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सूचित किए गए बैंक धोखाधड़ी के मामलों का कुल मूल्य कितना है;

(ख) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ग) इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्षों) के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों [सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों] और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि 1,42,112 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों में वसूली एक सतत प्रक्रिया है और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान ऐसे खातों में कुल 6,389 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत कराया है कि इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 31.3.2026 तक रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार-

- 15,577 इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमे दायर किए गए थे;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत 10,894 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है; तथा
- 7,173 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है।

इसके अलावा, पीएसबी ने 31.3.2026 तक इरादतन चूककर्ताओं से कुल 52,360 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है।
